कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त

889 19
क्र. /गोपनीय/पटवारी वा.गो.प्र./2020 ग्वालियर दिनांक /06/2020

प्रति,
कलेक्टर
जिला समस्त
म.प्र.।

विषय- पटवारियों के गोपनीय प्रतिवदेन के प्रारूप मे संशोधन बाबत्।
संदर्भ- कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख पत्र क्र. 717//**गोपनीय/पटवारी वा.गो.प्र./2019 ग्वालियर दिनांक 13.06.2029**

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से पटवारियों के गोपनीय प्रतिवेदन प्ररूप में संशोधन करते हुये नवीन दिशा निर्देश जारी किये गये थे। नवीन तकनीक पर आधारित व अन्य महत्वपूर्ण कार्यों जैसे PM KISAN आदि के चलते जिलों मे पटवारियों के गोपनीय प्रतिवेदन मे मूल्यांकन को और अधिक प्रभावी बनाए जाने फलस्वरूप संशोधन आवश्यक है। अतः उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए पटवारियों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन प्ररूप मे निम्नानुसार नवीन दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं-

दिशा निर्देश

1. पटवारी की वा.गो.प्रति. वर्षांत 2020 (1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020) से **online** **sara portal** पर भरे जावेंगे।
2. इस वा.गो.प्र. में कुल 3 भाग होंगे (संलग्न) जिसमें से भाग 1 पटवारी के कार्यरत कार्यालय/तहसील द्वारा इन दिशा निर्देशों के अनुसार भरा जावेगा।
3. भाग -2 पटवारी द्वारा भरा जाना है। पटवारियों द्वारा भाग -2 में उनके द्वारा किए गए कार्यों का पंकितवार विवरण प्रस्तुत किया जाएगा। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि पटवारी द्वारा भाग 2 मे दर्शाये गए मूल्यांकित हेतु आधारित प्रत्येक बन्दु पर कुछ पंक्तियों मे उसके द्वारा रिपोर्टिंग वर्ष मे किये गए कार्यों के संबंध मे तथ्यों तथा आंकड़ों का स्पष्ट विवरण उल्लेखित करना होगा।
4. पटवारी द्वारा रिपोर्टिंग वर्ष मे वा.गो.प्र को 30 जुलाई के भीतर प्रस्तुत करने हेतु 5 अंक निर्धारित किए गए है। यदि उक्त अवधि मे वा .गो.प्र प्रस्तुत नही किया जाता है तो मूल्यांकन हेतु शून्य अंक दिए जायेगें।
5. पटवारी द्वारा वर्षांत में किये गये कार्य के विवरण के संबंध में-
   i. पटवारी द्वारा, वर्षांत मे एक से अधिक आवंटित हल्कों मे किए गए कार्यों पर बिना बिचार किए, प्रति वर्षांत केवल एक वा.गो.प्र. ही प्रस्तुत किया जाएगा। इस संबध मे यह स्पष्ट किया जाता है कि वा.गो.प्र. लिखते समय पटवारी वा.गो.प्र. के भाग 2 मे वर्षांत के दौरान उसके द्वारा एक से अधिक तहसीलों / एक से अधिक पटवारी हल्कों मे किए गए

Scanned with OKEN Scanner

कार्यों के संबंध मे प्रासंगिक विवरणों का उल्लेख करेगा। चूकि पटवारियों द्वारा किए गए कार्य का मूल्यांकन उसके द्वारा किए गए लक्ष्यों की पूर्ती पर आधारित है। अतः उक्त आधार पर प्रतिवेदक अधिकारी / समीक्षक अधिकारी / स्वीकारकर्ता अधिकारी को वा.गो.प्र का मूल्यांकन करना आसान होगा।

ii. यदि पटवारी द्वारा वर्षांत मे कार्यभारित (workload) पटवारी के रूप मे कार्य किया गया है, तो उसके मूल्यांकन के मापदंडों का निर्धारण वा.गो.प्र. भाग 2 के कालम 9 मे मूल्यांकन हेतु दर्शाए गए विवरण अनुसार कम से कम 5 मापदंडों पर आधारित होगा। ऐसी स्थिति मे प्रत्येक मापदंड हेतु 19 अंक निर्धारित किए गए है एवं शेष 5 अंक वा.गो.प्र. को समयसीमा मे प्रस्तुत किए जाने हेतु निर्धारित किए गए हैं।

6. **पटवारियों के वा.गो.प्र का क्रम निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है-**

a. प्रतिवेदक अधिकारी - तहसीलदार । b. समीक्षक अधिकारी - अधीक्षक भू-अभिलेख ।

c. स्वीकारकर्ता अधिकारी - अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ।

प्रत्येक स्तर पर पटवारी के वा.गो.प्र. मे केवल 10 % अंको मे ही कमी अथवा बढ़ोतरी की जाएगी।

7. पटवारी के वा.गो.प्र. मे प्रतिवेदक अधिकारी तहसीलदार है। यदि पटवारी ने वर्षांत मे एक से अधिक तहसीलदारों के अधीन कार्य किया है, तो पटवारी के वा.गो.प्र. का मतांकन उस तहसीलदार के द्वारा किया जाएगा जिसके अधीन वर्षांत मे उसने कम से कम तीन माह तथा सबसे अधिक अवधि तक कार्य किया हो।

8. तहसीलदार द्वारा वा.गो.प्र. मतांकन पश्चात् अधीक्षक भू-अभिलेख को मतांकन हेतु प्रेषित किए जाएंगे जो मतांकन पश्चात् अंतिम मतांकन हेतु संबंधित अनुभाग के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को प्रेषित किए जाएंगे। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा अंतिम मतांकन पश्चात वा.गो.प्र. अधीक्षक भू-अभिलेख को भेजे जाएंगे। अधीक्षक भू-अभिलेख प्राप्त वा.गो.प्र. के संबंध मे पटवारी को वा.गो.प्र. की प्रतिलिप के साथ सूचना देगा व ऐसी सूचना से आयुक्त भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त को भी सूचित करेगा।

9. वा.गो.प्र. के मतांकन की समयसारणी निम्नानुसार निर्धारित की जाती है-

a) पटवारी द्वारा सेल्फ असेसमेंट प्रस्तुत करने की अवधि - 30 जुलाई

b) प्रतिवेदक अधिकारी (तहसीलदार) द्वारा गोपनीय प्रतिवेदन मे मतांकन -31 अगस्त

c) समीक्षक अधिकारी (अधीक्षक भू-अभिलेख) द्वारा गो.प्र मे मतांकन -30 सितंबर

d) स्वीकारकर्ता अधिकारी (अनु.वि.राजस्व) द्वारा गोपनीय प्रतिवेदन मे मतांकन -30 नवंबर

10. मतांकन हेतु अधिकारी के सेवानिवृत्त होने पर निम्नानुसार मंताकन की कार्यवाही की जावेगी-

i. यदि वा.गो.प्र. मे मतांकन से पूर्व तहसीलदार सेवानिवृत्त हो चुकें हैं तो पटवारी द्वारा वा.गो.प्र तहसील कार्यालय मे ही online प्रस्तुत किया जाएगा व तहसील कार्यालय, तहसीलदार के सेवानिवृत्त होने की सूचना के साथ, प्रतिवेदक एवं समीक्षक अधिकारी दोनो रूप मे मतांकन हेतु वा.गो.प्र. अधीक्षक भू-अभिलेख को प्रेषित करेंगे।

ii. यदि तहसीलदार और अधीक्षक भू-अभिलेख दोनो ही वा.गो.प्र. के मतांकन

Scanned with OKEN Scanner

से पूर्व सेवानिवृत्त हो चुके हैं तो वा.गो.प्र. मे प्रतिवेदक, समीक्षक अधिकारी व स्वीकारकर्ता अधिकारी तीनों रूप मे अंतिम मतांकन अनुविभागीय अधिकारी राजस्व का होगा।

iii. यदि अधीक्षक भू-अभिलेख व अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दोनो ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं तो अंतिम मतांकन तहसीलदार के द्वारा ही किया जाएगा।

अतः उक्त दिशा निर्देशों का निर्धारित प्रारूप मे जिले के पटवारियों का गोपनीय प्रतिवेदन अंकित कराया जाना सुनिश्चित करें। यह प्रारूप वर्षांत 2020 (1 अपैल 2019 - 31 मार्च 2020) से प्रभावशील है।

संलग्न (भाग 1,2 व 3)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dnyaneshwar Bhalchandra. Patil
Date: 2020.06.13 20:55:38 IST

आयुक्त
भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त
ग्वालियर म.प्र.

889 19
पृ क्र. /गोपनीय/पटवारी वा.गो.प्र./2020 ग्वालियर दिनांक /06/2020

प्रतिलिपि-

1. क्षेत्रीय उपायुक्त भू-अभिलेख समस्त की ओर सूचनार्थ ।
2. अधीक्षक भू-अभिलेख समस्त की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

आयुक्त
भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त
ग्वालियर म.प्र.

Dnyaneshwar Bhalchandra. Patil, CLR(DBP), COMMISSIONER LAND RECORD
Dnyaneshwar Bhalchandra. Patil
Secretary
COMMISSIONER LAND RECORD
COMMISSIONER
dbpatil@nic.in
13/06/2020

भाग-1 सामान्य जानकारी		
1	पटवारी का नाम	
2	पिता/पति/संरक्षक का नाम	
3	एम्पलोई कोड	
4	जन्मतिथि (सेवा पुस्तिका अनुसार)	

Scanned with OKEN Scanner